<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद</u> <u>जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 1558 / 2013

संस्थापन दिनांक 17.12.2013

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

बनाम

1—श्रीपतिसिंह पुत्र नेदराम गुर्जर उम्र 32 साल निवासी ग्राम कीरतपुरा थाना गोहद जिला भिण्ड हाल गुर्जर कॉलोनी मकोड़ा थाना आंतरी जिला ग्वालियर

– अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक......को घोषित)

उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 11.11.13 को 13:10 बजे या उसके लगभग बेहट रोड तिराहा करना मौ क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक देशी 315 बोर का कट्टा एवं एक जिन्दा राउण्ड 315 बोर का अपने अधिपत्य में रखा।

अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 11.11.13 को फरियादी आर0आर0तिवारी उपनिरीक्षक अ0सा01 टी0आई0 कुशलिसंह भदौरिया, एस.आई. बी.एस. परिहार, एएसआई प्रमोद भदौरिया, प्र0आर0 शेषदेव अ0सा05, प्र0आर0 बालकृष्ण, आर0 गुरूदास, सुरेन्द्र के साथ शासकीय वाहन से करबा गश्त हेतु रवाना हुआ था। तब उसे मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति कट्टा लिए वारदात के इरादे से बेहट रोड तिराहे पर खड़ा है जिसकी तस्दीक के लिए वह बताये हुए स्थान पर गया जहां एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे पकड़कर उसका नाम पता पूछा तो अपना नाम आरोपी श्रीपतिसिंह बताया आरोपी की तलाशी लेने पर कमर में बांयी तरफ शर्ट के नीचे 315बोर का कट्टा जिसके चैम्बर में एक जिंदा राउण्ड लगा हुआ था मिला जिसका आरोपी को लाइसेन्स न होना बताया। तब समक्ष गवाहन कट्टा व कारतूस को जप्त कर आरोपी को गिरफतार किया गया। जप्ती पत्रक प्र0पी—1 व गिरफतारी पत्रक प्र0पी—2 बनाया गया। थाना वापिसी पर एफ.आई.आर. प्र0पी—3 के अनुसार अप0क0

264/13 पंजीबद्ध कर कर मामला विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रकट होने से अभियोजन स्वीकृति उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है और आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या दिनांक 11.11.13 को 13:10 बजे या उसके लगभग बेहट रोड तिराहा कस्बा मौ क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक देशी 315 बोर का कट्टा एवं एक जिन्दा राउण्ड 315 बोर का अपने अधिपत्य में रखा ?

🌽 / विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष / /

साक्षी साक्षी आर०आर०तिवारी अ०सा०१ का कथन है कि वह दिनांक 11.11.13 को थाना मौ में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह ्टी0आई0 कुशलसिंह भदौरिया, ए.एस.आई. प्रमोद भदौरिया, एच.सी. शेषदेव, बालकिशन, आरक्षक सुरेन्द्र, गुरूदास, चालक केशवसिंह के साथ शासकीय वाहन से सदर बाजार मौ में गश्त हेत् गया था। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर से बेहट रोड मौ पर गया था वहां 💇 पर आरोपी खड़ा दिखाई दिया था जो पुलिस को देखकर भागा संदेह होने पर आरोपी को पकड़ा तथा नाम पता पूछा तो आरोपी ने अपना नाम श्रीपति पुत्र नन्दराम गुर्जर उम्र 32 साल निवासी ग्राम कीरतपुरा थाना गोहद हाल गूर्जर कॉलोनी मकोड़ा का होना बताया था। आरोपी की तलाशी लेने पर आरोपी के बांये तरफ कमर में एक 315 बोर का लोडेड कट्टा मिला तथा कट्टा को खोलकर देखने पर उसमें एक 315 बोर का जिंदा राउण्ड निकला। कटटा व राउण्ड रखने के संबंध में आरोपी से लाइसेन्स चाहा गया तो आरोपी ने न होना बताया। तब गवाह प्र0आरक्षक शेषदेव अ०सा०५ व साक्षी अनिल यादव अ०सा०२ के समक्ष कटटा व राउण्ड को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी-1 बनाया गया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तथा आरोपी को गिरफतार कर प्र0पी-2 का गिरफतारी पंचनामा बनाया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। थाना वापिसी पर उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध अप०क० 264 / 13 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-3 लेख की गयी जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

साक्षी शेषदेव भगत अ०सा०५ का कथन है कि वह दिनांक 11.11.13 को थाना मौ में प्र०आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को 12:30 बजे टी०आई० कुशलिसंह भदौरिया के साथ हमराह मय फोर्स के गश्त हेतु शासकीय वाहन से गये थे। कस्बा मौ में टी०आई० को मोबाइल से मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बेहट रोड मौ तिराहे पर कट्टा लिए खड़ा है। टी०आई० साहब द्वारा उक्त सूचना की तस्दीक हेतु हमराह फोर्स के साथ बेहट रोड मौ तिराहे पर पहुंचे तो पुलिस को देखकर आरोपी एकदम भागने लगा। टी०आई० साहब एवं हमराह फोर्स की मदद से आरोपी को घेरकर पकड़ा तथा टी०आई० साहब द्वारा आरोपी से नाम पता पूछने पर आरोपी ने अपना नाम श्रीपतिसिंह गुर्जर पुत्र नन्दरामिसंह गुर्जर उम्र 32 साल निवासी कीरतपुरा गोहद का होना बताया। तब टी०आई०साहब द्वारा एस०आई० आर०आर०तिवारी अ०सा०1 को आरोपी की तलाशी लेने को कहा तब एस.आई.आर०आर० तिवारी अ०सा०2 द्वारा आरोपी की तलाशी लेने पर कमर में बांये तरफ पैन्ट के नीचे एक 315 बोर का कट्टा खुरसे हुए मिला तथा उक्त कट्टा को खोलकर देखा तो चैम्बर में 315 बोर का जिंदा राउण्ड लगा हुआ था। आरोपी से कट्टा रखने का लाइसेन्स चाहा तो आरोपी ने न

होना बताया। मौके पर कट्टा व राउण्ड उसके व अनिल अ०सा०१ के समक्ष जप्त कर आरोपी को गिरफतार किया गया और कट्टा व राउण्ड सीलबंद किया गया। जप्ती पत्रक प्र०पी—1 व गिरफतारी पत्रक प्र०पी—2 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

अनिल अ०सा०२ ने कथन किया है कि वह आरोपी श्रीपित को नहीं जानता उसके सामने आरोपी से कोई कट्टा जप्त नहीं हुआ। जप्ती पत्रक प्र0पी—1 व गिरफतारी पत्रक प्र0पी—2 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपी से 315बोर का कट्टा और राउण्ड जप्त हुआ था। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी—4 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

साक्षी योगेन्द्रसिंह कुशवाह अ०सा०३ ने कथन किया है कि वह दिनांक 10.12.13 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स लिपिक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र क्रमांक 926 दिनांक 17.11.13 द्वारा थाना मों के अप०क० 264 / 13 से संबंधित केस डायरी एवं मोहरबंद आयुध प्र०आरक्षक रणवीर द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर अवलोकन पश्चात जिला दण्डाधिकारी एम.सिबि. चकवर्ती द्वारा अभियुक्त श्रीपतिसिंह पुत्र नेदराम के आधिपत्य से एक कट्टा 315 बोर एवं एक जिन्दा राउण्ड 315 बोर का अवैध रूप से पाये जाने से अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त अभियोजन स्वीकृति प्र0पी—4 है जिसके ए से ए भाग पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी एम.सिबि. चकवर्ती के हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं। उसने उनके अधीनस्थ कार्य किया है इसलिए वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है।

साक्षी सुरेश दुबे अ०सा०३ ने कथन किया है कि वह दिनांक 28.11.13 को पुलिस लाईन भिण्ड में आरक्षक आर्म माहर्र के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस थाना मौ के अप०क० 264/13 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट में आरक्षक 472 पुरूषोत्तम द्वारा पेश करने पर जप्तशुदा एक 315बोर का कट्टा व एक 315 बोर का जिन्दा राउण्ड सफेद पोटली में सीलबंद जांच हेतु प्राप्त हुआ। जांच के दौरान कट्टे की संपूर्ण लंबाई 7 इंच, बैरल की लंबाई 5 इंच, बट की लंबाई 3 इंच थी तथा बट लकड़ी का लगा हुआ था। कट्टा पीतल का था तथा फायरिंग पिन लोहे की लगी थी। कट्टा का एक्शन चैक करने पर कट्टा चालू हालत में था। कट्टा से फायर किया जा सकता था। एक 315 बोर के जिन्दा राउण्ड की पेंदी पर अंग्रेजी में 8एम.एम.के.एफ. लिखा था। जिंदा राउण्ड को भी फायर किया जा सकता था। बाद जांच कट्टा व राउण्ड उसी कपड़े में सील्ड कर उक्त आरक्षक को वापिस किया गया। उसके द्वारा तैयार रिपोर्ट प्र0पी—5 है जिसके ए से ए भाग पर एवं सील नमूना के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी अनिल अ०सा०२ ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। अतः प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में मात्र पुलिस साक्षीगण की साक्ष्य अभिलेख पर है। इस संबंध में आर०आर०तिवारी अ०सा०१ ने पैरा २ में स्वीकार किया है कि दिन में रोड चालू रहती है और उसने अपने अधीनस्थ शेषदेव अ०सा०५ को गवाह बनाया है। शेषदेव अ०सा०५ ने भी पैरा २ में स्वीकार किया है कि जिस जगह वह घटना होना बता रहा है उस जगह दिन में सामान्यतः 10—50 आदिमयों की भीड़ रहती है और घाटनास्थल पर एक लोकल बस स्टैण्ड है और आसपास दुकाने है व ठेले खड़े रहते हैं। अतः घटनास्थल सार्वजनिक स्थान होने के उपरांत भी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए एक मात्र स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने से पुलिस साक्षीगण की साक्ष्य की सुक्ष्म विवेचना आवश्यक है।

आर0आर0तिवारी अ0सा01 ने पैरा 2 में कथन किया है कि आरोपी की आय्

प्रकरण क्रमांक : 1558 / 2013

,

क्या है वह नहीं बता सकता और स्वतः कथन किया है कि वह आरोपी को देखकर ही आयु बता सकता है। जब किसी साक्षी द्वारा आरोपी को मुखबिर की सूचना पर पहचानकर गिरफतारी किया गया है और गिरफतारी पत्रक प्र0पी—2 में स्पष्टतः 32 वर्ष आयु अंकित है जो भी उसी के द्वारा विरचित किया गया है तब उसे आरोपी की आयु ज्ञात न होना इस तथ्य को संदेहास्पद बनाता है कि वह वस्तुतः आरोपी को पहचानता है। लेकिन बचाव पक्ष द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान आरोपी की पहचान प्रश्नगत किए जाने के संबंध में इस साक्षी को कोई स्पष्ट सुझाव नहीं दिए गए हैं इसलिए वह हाटना दिनांक को ही आरोपी से नहीं मिला था यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

आर0आर0तिवारी अ0सा01 ने पैरा 2 में स्वीकार किया है कि एफआईआर प्र0पी—3 में वही सूचनाकर्ता व वही कायमीकर्ता लेख है और घटना दिनांक को आरक्षक आर्म मोहर्र निहालिसंह कंषाना पदस्थ थे। प्रकरण में विवेचना उक्त साक्षी आर0आर0 तिवारी अ0सा01 ने नहीं की है। उक्त साक्षी उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ है जिससे वह विधि अनुसार एफआईआर लिखने हेतु भी सक्षम है अतः सक्षम होते हुए उसके द्वारा स्वयं की गयी कार्यवाही की एफआईआर लेख किया जाना उसकी विवेचना के अभाव में एफआईआर को संदेहास्पद नहीं बनाता है।

12

14

16

शेषदेव अ०सा०५ ने प्रतिपरीक्षण में इंकार किया है कि आरोपी को गिरफतार नहीं किया गया और न ही कोई कट्टा जप्त हुआ। इस आशय के तथ्यों से आर०आर०तिवारी अ०सा०१ ने भी प्रतिपरीक्षण में इंकार किया है और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि पदीय लाभ के लिए उसने आरोपी को झूठा फंसाया है। अतः बचाव पक्ष द्वारा दिए गए सुझावों से पुलिस साक्षीगण ने इंकार किया है और उक्त सुझावों को सकारात्मक रूप से साबित करने के लिए बचाव पक्ष ने अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे आरोपी को मिथ्या फंसाये जाने का कोई कारण भी परिलक्षित नहीं होता है।

अतः पुलिस साक्षीगण आर०आर०तिवारी अ०सा०1 और शेषदेव अ०सा०5 के कथन पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है जिससे आरोपी के अधिपत्य से कट्टा व राउण्ड जप्त होना प्रमाणित होता है। सुरेश दुबे अ०सा०4 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने कट्टा से फायर करके नहीं देखा केवल एक्शन के आधार पर बताया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी विशेषज्ञ साक्षी है और उसने कट्टे के परिचालन के आधार पर उसका फायर किए जाने योग्य होना बताया है जिससे उकसे द्वारा वस्तुतः फायर न किए जाने से कोई विपरीत तथ्य प्रमाणित नहीं होता है जिससे आरोपी से प्राप्त कट्टा व राउण्ड आयुध की श्रेणी में होना प्रमाणित होते हैं। योगेन्द्र अ०सा०3 के प्रतिपरीक्षण में दिए कथन से यह समाधान नहीं होता है कि अविवेकपूर्ण अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः आरोपी से आयुध जप्त होना प्रमाणित होता है और उक्त आयुध को रखने की अनुज्ञप्ति आरोपी के पास थी यह बचाव पक्ष ने प्रमाणित नहीं किया है जिससे आरोपी द्वारा अपराध घटित किया जाना प्रमाणित होता है।

15 अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों से अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में सफल रहता है और यह सिद्ध होता है कि आरोपी ने अपने अधिपत्य में बिना अनुज्ञा के आयुध रखा।

परिणामतः आरोपी को धारा 25(1—बी)(ए) आयुध अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

17 आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त कर उसे अभिरक्षा में लिया जाता है।

18 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया गया। आरोपी द्व ारा अकारण बस स्टैण्ड जैसे सार्वजिकन स्थान पर आयुध रखा गया जोकि गंभीर घटना कारित करने के लिए पर्याप्त था अतः आरोपी का आचरण ऐसा नहीं है कि उसे परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जाये अतः आरोपी को परिवीक्षा का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है।

प्रकरण दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु कुछ देर पश्चात पेश हो।

सही / –
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च:

19

20 आरोपी के अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया उनके द्वारा आरोपी को अल्प सजा दिए जाने का निवेदन किया है।

21 🎢 दिण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया।

अारोपी को न्यूनतम से कम कारावास दिए जाने का कोई कारण स्पष्ट नहीं होता है। अतः आरोपी को धारा 25(1—बी)(ए) आयुध अधिनियम के आरोप में एक वर्ष के सश्रम कारावास और दो सौ रूपये अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है अर्थदण्ड जमा किए जाने के व्यतिक्रम की दशा में दस दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाये।

23 प्रकरण में जप्त संपत्ति कट्टा व राउण्ड अपील अवधि पश्चात निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजे जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

24 प्रकरण में आरोपी दिनांक 11.11.13 से 18.11.13 तक अभिरक्षा में रहा है अतः उक्त अभिरक्षा में बितायी अवधि मूल कारावास के दण्डादेश की सजा मे समायोजित की जाये इस संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

दिनांक :-

सही /= (गोपेश गर्ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म०प्र०